



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2013/चैत्र 5, 1935

No. 155]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2013/CHAITRA 5, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2013

सा.का.नि. 191(अ).—केंद्रीय सरकार, स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 9क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थ (नियंत्रक पदार्थों का विनियम), आदेश 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.—(1) इस आदेश में, जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) अभिप्रेत है;

(ख) "परिशिष्ट" से इस आदेश से उपाबद्ध परिशिष्ट अभिप्रेत हैं;

(ग) "प्ररूप" से इस आदेश से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) "अनुसूची" से इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. अनुसूची में नियंत्रित पदार्थों को सम्मिलित करने की शक्ति.—केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची में नियंत्रक या अधिक किसी नियंत्रित पदार्थ को सम्मिलित कर सकेगी।

4. अनुसूची 'क' में, नियंत्रक पदार्थों के विनिर्माण, व्यापार और वाणिज्य, कब्जा और उपभोग का प्रतिषेध.—(1) कोई भी व्यक्ति, अनुसूची 'क' में सम्मिलित किसी नियंत्रित पदार्थ के विनिर्माण, वितरण, विक्रय, क्रय, कब्जा, संग्रहण या उपभोग, आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो द्वारा जारी प्ररूप 'क' में किसी विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या के बिना नहीं करेगा :

परंतु इस खंड के अधीन रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा इस आदेश के प्रभावी होने के 180 दिन की अवधि के भीतर अनुपालन करना होगा।

परंतु यह और कि सरकार या स्वायत्त शासी संस्थानों, सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त स्कूलों या महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों, रजिस्ट्रीकृत वैज्ञानिक सोसाइटियों और अस्पतालों को शैक्षिक, वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक प्रयोजनों के लिए अनुसूची-क में किसी नियंत्रित पदार्थ के उपयोग के लिए रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त हैं।

(2) उपखंड (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो को प्ररूप-ख में करना होगा।

(3) आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो, प्ररूप-ख में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 कार्य दिवसों के भीतर प्ररूप-क में कोई विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या जारी करेगा या रजिस्ट्रीकरण से इंकार करेगा।

(4) नियत समयावधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण संख्या जारी या इंकार नहीं करने की दशा में, आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी आवेदक को उसके कारणों की जानकारी देगा।

(5) कोई व्यक्ति, जो खंड (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, यथास्थिति, प्ररूप-ग या प्ररूप-घ में दैनिक खाते रखेंगे और दैनिक खातों के अभिलेख अंतिम प्रविष्टि की तारीख से पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए सुरक्षित रखने होंगे।

(6) प्रत्येक व्यक्ति, जो खंड (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, यथास्थिति, प्ररूप-ड या प्ररूप-च में त्रैमासिक विवरणी क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले संबंधित आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो को फाइल करेगा।

(7) प्रत्येक त्रैमासिक विवरणी, उक्त त्रैमासिक के आगामी मास की अंतिम दिन से पहले फाइल करनी होगी।

(8) प्रत्येक व्यक्ति, जो खंड (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थों के किसी क्षति या गायब हो जाने से संबंधित रिपोर्ट तत्काल संबंधित आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो को जिसके अधिकार क्षेत्र से ऐसी क्षति या गायब हो जाने की घटना हुई है, देगा और रिपोर्ट की प्रति महानिदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो, नई दिल्ली को भी पृष्ठांकित करेगा।

स्पष्टीकरण 1- इस खंड के प्रयोजन के लिए, अधिकारिता का क्षेत्र परिशिष्ट में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्रों का आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो होगा।

स्पष्टीकरण 2- इस खंड के प्रयोजन के लिए, “त्रैमासिक” पद से प्रत्येक वर्ष के जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर है।

5. रजिस्ट्रीकरण का अभ्यर्पण- खंड (4) के उपखंड (1) के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का कोई धारक, यदि वह ऐसी वांछ करता है, जारीकर्ता प्राधिकारी को लिखित में सूचना द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण का अभ्यर्पण करेगा और उसकी अभिप्राप्ति प्राप्त करेगा।

6. रजिस्ट्रीकरण के अभ्यर्पण पर स्टॉक का निपटान- खंड (4) के उपखंड (1) के अधीन जारी किसी रजिस्ट्रीकरण संख्यांक के धारक के कब्जे में अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थों का स्टॉक अपने

रजिस्ट्रीकरण के अभ्यर्पण पर ऐसी रीति में निपटान होगा जो इस निमित्त जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

7. अनुसूची क में नियंत्रित पदार्थों का परिवहन- (1) अनुसूची -क में, नियंत्रित पदार्थों का परेषण भारत के भीतर एक स्थान से अन्य स्थान पर नहीं भेजेगा जब तक कि वह प्ररूप-झ में किसी परेषण टिप्पण के साथ न हो ।

(2) परेषण टिप्पण तीन प्रतियों में तैयार होगा और परेषण टिप्पण की मूल और दूसरी प्रतियां परेषिती को परेषण के साथ भेजनी होगी जो उसे प्राप्त परिमाण की विशिष्टियों को मूल और दूसरी प्रतियों पर पृष्ठांकन करने के पश्चात् दूसरी प्रति परेषणकर्ता को रखने के लिए वापस कर देगा ।

(3) नियंत्रित पदार्थों के परेषण की प्राप्ति की अभिप्राप्ति परेषिती से सम्यक् रूप से पृष्ठांकित होने के पश्चात् परेषणकर्ता द्वारा दूसरी प्रति के प्राप्त न होने की दशा में परेषणकर्ता परेषण की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर खंड (4) के उपखंड (8) में उपबंधित रीति में परेषण के खो जाने या गायब हो जाने की रिपोर्ट करेगा ।

(4) भारत में आयातित अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थों के किसी परेषण की दशा में, ऐसा परेषण, यथास्थिति, आयातकर्ता या उपभोक्ता के किसी भांडागारण या कारखाना या कारबार के स्थापन या परिसर से प्रवेश के पत्तन से ऐसा परेषण प्रवेश पत्र के साथ होगा ।

(5) यथास्थिति, परेषण टिप्पण या प्रवेश पत्र, यथास्थिति, परेषण और परेषिती या आयातकर्ता द्वारा पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए संरक्षित किए जाएंगे ।

(6) कोई परिवहक अनुसूची क में नियंत्रित पदार्थों का कोई परेषण टिप्पण या प्रवेश पत्र के बिना वहन नहीं करेगा ।

(7) परिवहक अधिनियम की धारा 42 के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति द्वारा जब अपेक्षित हो, यथास्थिति, परेषण टिप्पण या प्रवेश पत्र को प्रस्तुत करेगा ।

(8) (क) जब अनुसूची क में नियंत्रित पदार्थ पैकेजिंग द्वारा मोटरचालित टैंकर या अन्यथा परिवहन किए जाते हैं तो, यथास्थिति, ऐसे टैंकरों या पैकेजों के सभी आवक और जावक छेड़छाड़ से सुरक्षित वर्णनों की पहचान करने योग्य मुहरों द्वारा मुद्रांकित होंगे और ऐसी मुहर परेषण के परिसर में लगायी जाएगी और परेषिती के परिसर से हटायी जाएगी ।

(ख) ऐसे टैंकरों या पैकेजों पर लगायी गई छेड़छाड़ से सुरक्षित मुहर का वर्णन प्रत्येक परेषण के परेषण टिप्पण या प्रवेश पत्र पर अंकित होगा ।

(ग) कोई भी व्यक्ति कोई छेड़छाड़ से सुरक्षित ऐसी मुहर का उपयोग या कब्जे में नहीं रखेगा जिसका किसी अन्य छेड़छाड़ से सुरक्षित मुहर के समरूप पहचान योग्य विवरण हो ।

(9) जब अनुसूची -क में किसी नियंत्रित पदार्थ का कोई परेषण किसी आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो की अधिकारिता के क्षेत्र के अंतर्गत किसी अन्य आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो की अधिकारिता के क्षेत्र से आता है, परेषण प्ररूप- च में आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो को त्रैमासिक रिपोर्ट भेजेगा ।

स्पष्टीकरण 1- इस खंड के प्रयोजन के लिए, “प्रवेश पत्र” पद से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में यथापरिभाषित अर्थ के समान है ।

स्पष्टीकरण 2- इस खंड के प्रयोजन के लिए, आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो की अधिकारिता परिशिष्ट में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र होगी ।

8. अनुसूची क में नियंत्रित पदार्थों का विक्रय- कोई व्यक्ति अनुसूची-क में किसी नियंत्रित पदार्थ का विक्रय किसी क्रेता को जो खंड (4) के उपखंड (1) के अधीन जारी कोई विद्यमान रजिस्ट्रीकरण संख्या नहीं रखता है, नहीं करेगा :

परंतु किसी नियंत्रित पदार्थ का विक्रय खंड (4) के उपखंड (1) के दूसरे परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट किसी क्रेता को बिना रजिस्ट्रीकरण संख्यांक के कर सकेगा ।

9. अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थों को नष्ट करना- (1) कोई व्यक्ति, अनुसूची -क में किसी नियंत्रित पदार्थ को नष्ट करने के आशय से क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो को प्ररूप झ में आवेदन करेगा ।

(2) आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो प्ररूप- झ में किसी आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर एक समिति गठित करेगा जो स्वापक नियंत्रक ब्यूरो के एक राजपत्रित अधिकारी, संबंधित रेंज के केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के अधीक्षक और अनुसूची -क में नियंत्रित पदार्थ को नष्ट करने का पर्यवेक्षण करने वाले आवेदक का कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि से मिलकर बनेगी तथा ऐसा नष्टकरण समिति के गठन से तीस दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए, आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रक ब्यूरो की अधिकारिता परिशिष्ट में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र होगी ।

10. अनुसूची ख में नियंत्रित पदार्थों का निर्यात- (1) कोई भी व्यक्ति, अनुसूची ख में नियंत्रित किसी पदार्थ का निर्यात स्वापक आयुक्त द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की शर्तों के अनुसार के सिवाए नहीं करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति, जो अनुसूची -ख में किसी नियंत्रित पदार्थ का निर्यात करना चाहता है अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए प्ररूप -ज में स्वापक आयुक्त को आवेदन करेगा ।

(3) स्वापक आयुक्त आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 21 कार्य दिवसों के भीतर अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा या इंकार करेगा और नियत अवधि के भीतर अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं होता है या इंकार नहीं करने की दशा में, स्वापक आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उसके कारणों को आवेदक को जानकारी देगा ।

(4) स्वापक आयुक्त द्वारा निर्यात के लिए जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र केवल एकल परेषण के लिए विधिमाम्य होगा ।

(5) प्रत्येक निर्यातकर्ता, अनुसूची ख में नियंत्रित पदार्थों के निर्यात से संबंधित सभी ब्यौरे और दस्तावेज जैसे बीजक, स्थोरा मालसूची, सीमाशुल्क, परिवहन और पोत परिवहन के दस्तावेज जिसमें नियंत्रित पदार्थ का नाम, परिमाण, परेषिती, निर्यातकर्ता और आयातकर्ता का नाम और पता भी है, स्वापक आयुक्त को निर्यात के सात दिनों की अवधि के भीतर देगा ।

11. अनुसूची ग में नियंत्रित पदार्थों का आयात- (1) कोई भी व्यक्ति, अनुसूची -ग में नियंत्रित किसी पदार्थ का आयात स्वापक आयुक्त द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र के शर्तों के अनुसार के सिवाए नहीं करेगा ।
- (2) कोई व्यक्ति, जो अनुसूची -ग में किसी नियंत्रित पदार्थ का आयात करना चाहता है अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए प्ररूम -ट में स्वापक आयुक्त को आवेदन करेगा ।
- (3) स्वापक आयुक्त आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 21 कार्य दिवसों के भीतर अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा या इंकार करेगा और नियत अवधि के भीतर अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं होता है या इंकार नहीं करने की दशा में, स्वापक आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उसके कारणों को आवेदक को जानकारी देगा ।
- (4) स्वापक आयुक्त द्वारा आयत के लिए जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र केवल एकल परेषण के लिए विधिमान्य होगा ।
- (5) प्रत्येक आयातकर्ता, अनुसूची -ग में नियंत्रित पदार्थों के आयात से संबंधित सभी ब्यौरे और दस्तावेज जैसे बीजक, स्थोरा मालसूची, सीमाशुल्क, परिवहन और पोत परिवहन के दस्तावेज जिसमें नियंत्रित पदार्थ का नाम, परिमाण, परेषिती, निर्यातकर्ता और आयातकर्ता का नाम और पता भी है, स्वापक आयुक्त को आयात के सात दिनों की अवधि के भीतर देगा ।
12. निर्यात और आयात के परेषण पर लेबल लगाना- (1) प्रत्येक आधान या पात्र, जिसमें आयात के लिए किसी परेषण में या किसी परेषण में जिसे निर्यात किया गया है, कोई नियंत्रित पदार्थ है के लेबल पर नियंत्रित पदार्थ का नाम और उसका परिमाण, आयातकर्ता और निर्यातकर्ता या परेषिती का नाम और पता, यदि कोई हो, प्रमुख रूप से देना होगा ।
- (2) नियंत्रित पदार्थों के आयात और निर्यात से संबंधित दस्तावेज जैसे बीजक, स्थोरा मालसूची, सीमाशुल्क, परिवहन और पोत परिवहन के दस्तावेजों जिसके अंतर्गत नियंत्रित पदार्थ का नाम, परिमाण, परेषिती, निर्यातकर्ता और आयातकर्ता का नाम और पता अंतर्विष्ट भी हो और दस्तावेज न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित रखने होंगे ।
13. निरसन और ब्यावृत्ति- (1) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी (नियंत्रित पदार्थों का विनियमन) आदेश, 1993 इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, खंड (1) द्वारा निरसित आदेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या किए जाने या कार्रवाई करने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई वहां तक, जो इस आदेश के उपबंधों से असंगत न हो, इस आदेश के उपबंधों के तत्स्थानी के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी ।

1262 GE/13-2

अनुसूची
[खंड 2(घ) देखिए]

अनुसूची- क (अनुसूची- क ऐसे पदार्थ, जो नियंत्रित पदार्थ हैं, जिनका विनिर्माण, वितरण, विक्रय, क्रय, कब्जा, भंडारण और उपभोग इस आदेश में यथाविनिर्दिष्ट नियंत्रणों के अध्वधीन है।)

1. एसिटिक एनहाईड्राइड
2. एन- एसिटिलएनथ्रानिलिक अम्ल
3. एनथ्रानिलिक अम्ल
4. एफ्रेड्राइन और उसके लवण
5. स्यूडोफिड्रीन और उसके लवण

अनुसूची- ख (अनुसूची- ख ऐसे पदार्थ, जो नियंत्रित पदार्थ हैं, जिनका भारत से निर्यात इस आदेश में यथाविनिर्दिष्ट नियंत्रणों के अध्वधीन है।)

1. एसिटिक एनहाईड्राइड
2. एन- एसिटिलएनथ्रानिलिक अम्ल
3. एनथ्रानिलिक अम्ल
4. एफ्रेड्राइन, उसके लवण और उसकी निर्मितियां
5. इरगोमेड्राइन और उसके लवण
6. इरगोटेमाइन और उसके लवण
7. आइसोसेफ्रोल
8. लेसर्जिक अम्ल और उसके लवण
9. 3, 4- मिथाइलिनोडिआक्सीफिनाइल-2-प्रोपेनोन
10. मिथाइल एथिल कीटोन
11. नोर्फेड्राइन (फिनाइलप्रोपेनोलामिन), उसके लवण और उसकी निर्मितियां
12. 1-फिनाइल-2-प्रोपेनोन
13. फिनाइलएसिटिक अम्ल और उसके लवण
14. पिपरोनाल
15. पोटैशियम परमैंगनेट
16. स्यूडोफिड्रीन, उसके लवण और उसकी निर्मितियां
17. सेफ्रोल और कोई आवश्यक तेल जिसमें 4% या अधिक सेफ्रोल हो

अनुसूची- ग (अनुसूची- ग ऐसे पदार्थ, जो नियंत्रित पदार्थ हैं, जिनका भारत में आयात इस आदेश में यथाविनिर्दिष्ट नियंत्रणों के अध्वधीन है।)

1. एसिटिक एनहाईड्राइड

2. एन- एसिटिलएनथ्रानिलिक अम्ल
3. एनथ्रानिलिक अम्ल
4. एफ्रेड्राइन, उसके लवण और उसकी निर्मितियां
5. इरगोमेद्राइन और उसके लवण
6. इरगोटेमाइन और उसके लवण
7. आइसोसेफ्रोल
8. लेसर्जिक अम्ल और उसके लवण
9. 3, 4- मिथाइलिनेडिआक्सीफिनाइल-2-प्रोपेनोन
10. मिथाइल एथिल कीटोन
11. नोर्फेड्राइन (फिनाइलप्रोपेनोलामिन), उसके लवण और उसकी निर्मितियां
12. 1-फिनाइल-2-प्रोपेनोन
13. फिनाइलएसिटिक अम्ल और उसके लवण
14. पिपरोनाल
15. पोटेशियम परमैंगनेट
16. स्यूडोफिडीन, उसके लवण और उसकी निर्मितियां
17. सेफ्रोल और कोई आवश्यक तेल जिसमें 4% या अधिक सेफ्रोल हो

परिशिष्ट

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के आंचलिक निदेशक की अधिकारिता का क्षेत्र

क्र.सं.	क्षेत्र	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के आंचलिक निदेशक की अधिकारिता का क्षेत्र
1.	दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (एनसीआर) और हरियाणा ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दिल्ली आंचलिक इकाई, पश्चिमी ब्लाक सं० 1, विंग नं० 7, दूसरा तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली- 110066 । फैक्स नं० 011-26181449
2.	राजस्थान राज्य (राज्य के उन क्षेत्रों को छोड़कर जो राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में सम्मिलित हैं) ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, जोधपुर आंचलिक इकाई, सेक्टर- 18ई, चौपासिनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर, राजस्थान । फैक्स सं० 0291-2510092
3.	उत्तर प्रदेश राज्य (राज्य के उन क्षेत्रों को छोड़कर जो राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में सम्मिलित हैं) और उत्तराखंड ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बी-912, सेक्टर-ए, सीआईडी कालोनी, महानगर लखनऊ, उत्तर प्रदेश । फैक्स नं० 0522-2339411

4.	पश्चिमी बंगाल, ओडीशा, सिक्किम राज्य तथा अंदमान और निकोबार दीव समूह के संघ राज्यक्षेत्र ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पूर्वी आंचलिक इकाई, कोलकाता, 4/2 करायी रोड, तीसरा तल, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल- 700017 । फैक्स नं० 033-22891957
5.	महाराष्ट्र और गोवा राज्य	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, मुम्बई आंचलिक इकाई, तीसरा तल, एक्सचेंज बिल्डिंग, स्रोत रोड, बलार्ड एस्टेट, मुम्बई, महाराष्ट्र- 400001
6.	केरल, तमिलनाडु राज्य तथा पुडुचेरी और लक्षद्वीप के संघ राज्यक्षेत्र ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, चेन्नई आंचलिक इकाई, सी-3ए, राजाजी भवन, बेसंत नगर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600090 । फैक्स नं० 044-24910937
7.	पंजाब, हिमाचल प्रदेश राज्य और चंडीगढ़ के संघ राज्यक्षेत्र ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, चंडीगढ़ आंचलिक इकाई, इलेक्ट्रिक स्टोर बिल्डिंग, चितकारा इंट. स्कूल, सेक्टर- 25(वेस्ट), चंडीगढ़ फैक्स नं० 0172 - 2780108
8.	जम्मू-कश्मीर राज्य ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, जम्मू आंचलिक इकाई, चंदन विहार, म०सं० 1, लेन-1, लोअर रूप नगर, मुथी कैम्प, जम्मू, जम्मू-कश्मीर - 180005 । फैक्स नं०. 00191-2598029
9.	गुजरात राज्य तथा दमन और दीव तथा दादरा और नागर हेवली के संघ राज्यक्षेत्र ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, अहमदाबाद आंचलिक इकाई, दूसरा और तीसरा तल, स्क्रीन बिल्डिंग, झाईव-इन-सिनेमा, झाईव-इन-रोड, थलतेज, अहमदाबाद, गुजरात- 380054 फैक्स नं० 079- 27497330

10.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, इंदौर आंचलिक इकाई, 19/सी/ए/एसएलआईसीई-5, विजय नगर, “अरण्य”, डाकघर- विजय नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452010 । फैक्स नं0 0731- 2557701
11.	बिहार और झारखंड राज्य ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पटना आंचलिक इकाई, 67, कौटिल्य नगर, नियर वीबी कालेज पटना- 14, बिहार । फैक्स नं0 0612-2296159
12.	असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर राज्य ।	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गुवाहाटी आंचलिक इकाई, मकान नं0 25, एस.के. बरुआ रोड, पहला बाइ-लेन, दिसपुर, गुवाहाटी, असम- 781006 । फैक्स नं0 0361- 2229375
13.	कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश राज्य	आंचलिक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, बंगलौर आंचलिक इकाई, 7/1 और 2, प्रियंका विलास, स्मन्ना गार्डन, कटिगेनहल्ली, बंगलूर मेन रोड, पोस्ट- एयर फोर्स स्टेशन येल्हंका, बंगलौर, कर्नाटक - 560063 । फैक्स नं0 080- 28478316

1262 GE/13-3

प्ररूप-क

[खंड-4 का उप-खंड (1) देखें]

अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थ के विनिर्माण/वितरण/विक्रय/क्रय/कब्जा/भंडारण/उपभोग के लिए
रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण सं०..... जारी करने की तारीख.....

.....(नाम और पता).....को
निम्नलिखित के लिए रजिस्ट्रीकृत किया जाता है (जो लागू न हो उसे काट दें)

(1)	विनिर्माण	(2)	वितरण
(3)	विक्रय	(4)	क्रय
(5)	कब्जा	(6)	भंडारण
(7)	उपभोग	(8)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

अनुसूची-क में निम्नलिखित नियंत्रित पदार्थ

क्रम सं०	अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थ का नाम	परिसर के ब्यौरे

2. यह रजिस्ट्रीकरण नीचे वर्णित शर्तों और कुछ अन्य शर्तों जो कि तत्समय प्रवृत्त स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के अधीन विनिर्दिष्ट आदेश के अधीन है।

कार्यालय की मुहर	हस्ताक्षर..... पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में..... पद नाम.....
------------------	---

रजिस्ट्रीकरण की शर्तें

1. यह रजिस्ट्रीकरण अंतरणीय नहीं है।
2. यह रजिस्ट्रीकरण अनुमोदित परिसर में रखा जाएगा और यह रजिस्ट्रीकरण जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए किसी अभिहित/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
3. अनुसूची क में नियंत्रित पदार्थ से भिन्न किसी अन्य पदार्थ जिसके लिए यह रजिस्ट्रीकरण जारी किया गया है क्रमशः इसमें वर्णित परिसर में उसका विनिर्माण नहीं होगा।
4. इस रजिस्ट्री का धारक, रजिस्ट्रीकरण के अधीन प्रचालित व्यक्ति या अस्तित्व के गठन में किसी परिवर्तन की घटना की जानकारी इस रजिस्ट्रीकरण करने वाले प्राधिकारी को लिखित में देगा। व्यक्ति जहां अस्तित्व के गठन में किसी परिवर्तन होने की स्थिति में वर्तमान रजिस्ट्रीकरण परिवर्तन होने की तारीख से अधिकतम तीन माह की अवधि विधिमान्य समझी जाएगी, जब तक कि इस अवधि में परिवर्तित गठन के साथ व्यक्ति या अस्तित्व के नाम से यह रजिस्ट्रीकरण जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा नहीं करवाया गया है।

(छ) कारख़ार परिसर की निश्चित सीमाएं (विवरण-भू राजस्व अभिलेख के अनुरूप होना चाहिए)

- (1) उत्तर :
- (2) दक्षिण :
- (3) पूर्व :
- (4) पश्चिम :

(ज) कारख़ार परिसर जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जा रहा है उससे संबंधित आवेदक के संपत्ति धारण अधिकार (कृपया उचित डिब्बे में चिन्ह लगाएं) :

स्वामित्व	पट्टा/भाटक	
यदि स्वामित्व हे तो	बंधक	
	आडमान	
कृपया बंधक/आडमान के ब्यारे को विनिर्दिष्ट करें		

(झ) आवेदन को हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति और प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम, पदनाम और पता

- (1) आवेदन को हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति

नाम	
पदनाम	
पता	
संपर्क दूरभाष	
ई-मेल आईडी	
दोषसिद्ध/लंबित मामले (यदि हां तो अलग कागज में उसका ब्यौरा)	हां/नहीं
हस्ताक्षर का नमूना	
सरकारी संगठन/निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करे	

टिप्पण : (1) प्राधिकृत व्यक्तियों के संबंध में उपरोक्त ब्यौरा एक अलग कागज में दिया जाए ।
 (2) सभी व्यक्तियों से संबंधित प्राधिकार पत्र की प्रति संलग्न किया जाए ।

1262 GZ/13-4

भाग-3

(क) सरकारी अभिकरण/विभाग से अभिप्राप्त कारबारी संव्यवहार संख्या

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्या		तक वैधता
केन्द्रीय विक्रय कर संख्या		
राज्य विक्रय कर संख्या		
विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण संख्या		
सीमा शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्या		
महानिदेशालय विदेश व्यापार आयात निर्यात कोड संख्या		
कंपनी रजिस्ट्रार सीआईएन संख्या		
ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति		
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		

घोषणा

मैं.....घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारियां हर तरह सही, सत्य और पूर्ण हैं और मैं आवेदक की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ।

स्थान :

तारीख :

(आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और मुहर)

संलग्नकों की सूची :

- (1).....
- (2).....
- (3).....
- (4).....
- (5).....
- (6).....
- (7).....

टिप्पण :

- (1) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगे।
- (2) इस आवेदन को जमा करते समय जो जानकारी उपलब्ध नहीं है वो रजिस्ट्रीकरण जारी होने के पश्चात् भी, जब कभी उपलब्ध हो, प्रदान की जाएगी।

प्ररूप-ग

[खंड-4 का उप-खंड (5) देखें]

अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थों के विनिर्माण का रजिस्ट्रीकरण

खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण संख्या :

मास : नियंत्रित पदार्थ का नाम :

तारीख	दिन के प्रारंभ में हाथ में परिमाण	विनिर्माण में पदार्थ का परिमाण	कारखाने से बाहर भेजे जाने वाले नियंत्रित पदार्थ के परिमाण के ब्यौरे		
			क्रम सं०	भेजा गया परिमाण	जिसे भेजा गया है (रजिस्ट्रीकरण संख्या, व्यक्ति का नाम और पता और परिसर का स्थान दिया जाएगा।)
1	2	3	4	5	6

कारखाने से बाहर भेजा गया कुल परिमाण	उठाई-घराई में हुई हानि	दिन के अंत में हाथ में परिमाण	प्राधिकृत व्यक्ति के आद्यक्षर
7	8	9	10

टिप्पण :

- (1) परिमाण किलोग्राम में उपदर्शित किया जाएगा।
- (2) इस अभिलेख को दिन-प्रतिदिन के आधार पर अनुरक्षित किया जाएगा और प्रविष्टियां, प्रत्येक उस दिन के लिए जब स्थापना खुलता है बिना इस बात के विचार किये कि संव्यवहार हुआ है या नहीं की जाएंगी और प्रत्येक दिन के लिए की गई प्रविष्टियां को दिन के समाप्त होने से पहले पूरा किया जाएगा और लेखों को अनुरक्षित रखने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के प्रविष्टि के पश्चात् अपने आद्यक्षर बनाएगा रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ पर चालू क्रमांक संख्या अंतर्विष्ट होगी
- (3) यदि एक से अधिक नियंत्रित पदार्थ का प्रयोग हो रहा है तो प्रत्येक पदार्थ के लिए पृथक रजिस्टर रखा जाएगा।

प्ररूप-घ

[खंड-4 का उप-खंड (5) देखें]

अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थों के उपभोग, विक्रय, आयात या निर्यात का रजिस्ट्रीकरण
खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण संख्या :
मास : नियंत्रित पदार्थ का नाम :

तारीख	दिन के प्रारंभ पर हाथ में परिमाण	विनिर्माण पदार्थ का परिमाण	प्राप्त/आयात पदार्थ के परिमाण का ब्यौरे		
			परिमाण	जिससे प्राप्त किया है (व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण संख्या, नाम और पता दिया जाएगा)	परिषण टिप्पण/प्रविष्टि संख्या का बिल
1	2	3	4	5	6

पदार्थ के वितरण/विक्रय/निर्यात/उपभोग के परिमाण का ब्यौरे					
क्रम सं०	परिमाण	व्यक्ति की रजिस्ट्रीकरण संख्या, नाम और पता और परिसर का स्थान भी दिया जाएगा।	परिषण टिप्पण /जारी करने की पर्ची संख्या	उपभोग किया गया	उपभोग का प्रयोजन
7	8	9	10	11	12

उठाई-घराई में हुई हानि (यदि कोई)	दिन के अंत में हाथ में परिमाण	प्राधिकृत व्यक्ति के आधिकार
13	14	15

टिप्पण :

- (1) परिमाण किलोग्राम में उपदर्शित किया जाएगा।
- (2) इस अभिलेख को दिन-प्रतिदिन के आधार पर अनुरक्षित किया जाएगा और प्रविष्टियां, प्रत्येक उस दिन के लिए जब स्थापना खुलता है बिना इस बात के विचार किये कि संव्यवहार हुआ है या नहीं की जाएंगी और प्रत्येक दिन के लिए की गई प्रविष्टियां को दिन के समाप्त होने से पहले पूरा किया जाएगा और लेखों को अनुरक्षित रखने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के पश्चात् अपने आधिकार बनाएगा रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ पर चालू क्रमांक संख्या अंतर्विष्ट होगी
- (3) यदि एक से अधिक नियंत्रित पदार्थ का प्रयोग हो रहा है तो प्रत्येक पदार्थ के लिए पृथक रजिस्टर रखा जाएगा।
- (4) आयात/निर्यात की दशा में रजिस्ट्रीकरण संख्या के स्थान पर स्वापक आयुक्त द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख को उपदर्शित किया जाएगा
- (5) जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप-ड
[खंड-4 का उप-खंड (6) देखें]
अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थ के विनिर्माण की तिमाही विवरणी

तिमाही जो.....को समाप्त हो रही है, के लिए विवरणी

1. खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी गई रजिस्ट्रीकरण संख्या
2. विनिर्माणकर्ता का नाम
3. पता
4. नियंत्रित पदार्थ का नाम
5. तिमाही के प्रारंभ पर में नियंत्रित पदार्थ का आरंभिक अतिशेष
6. विनिर्माण और विक्रय का ब्यौरा

विनिर्माण			विक्रय		
तारीख	परिमाण	तारीख	जिसे बेचा गया है (व्यक्ति की रजिस्ट्रीकरण संख्या, नाम और पता और परिसर का स्थान	परिमाण नोट सं०	परिमाण
कुल योग					कुल योग

7. तिमाही के अंत में अतिशेष
8. क्या विवरणी नियत तारीख के भीतर फाइल की गई है : हां/नहीं
9. यदि विवरणी नियत तारीख के भीतर फाइल नहीं की गई है, तो विवरणी को विलंब से प्रस्तुत करने के लिए जुर्माने के संदाय के ब्यौरों विनिर्दिष्ट करें।

प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दी गई जानकारी सही है और सुसंगत अभिलेख मेरे/हमारे पास उपलब्ध है

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

तारीख.....

टिप्पण :

- (1) परिमाण किलोग्राम में उपदर्शित किया जाएगा।
- (2) प्रत्येक नियंत्रित पदार्थ के लिए पृथक विवरणी भेजी जाएगी।
- (3) यह विवरणी स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को भेजी जाएगी।
- (4) आयात/निर्यात की दशा में रजिस्ट्रीकरण संख्या के स्थान पर स्वापक आयुक्त द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख उपदर्शित की जाएगी।

1862 G=13-5

प्ररूप-च

[खंड-4 का उप-खंड (6) देखें]

नियंत्रित पदार्थ की प्राप्ति, आयात, विक्रय, उपभोग या निर्यात की तिमाही विवरणी तिमाही जो.....को समाप्त हो रही है, के लिए विवरणी

1. खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी गई रजिस्ट्रीकरण संख्या
2. विक्रयकर्ता, वितरणकर्ता, निर्यातकर्ता, आयातकर्ता या उपभोक्ता का नाम
3. पता
4. नियंत्रित पदार्थ का नाम
5. तिमाही के प्रारंभ पर में नियंत्रित पदार्थ का आरंभिक अतिशेष
6. परिमाण प्राप्ति और विक्रय, उपभोग या निर्यात का ब्यौरा

प्राप्ति/आयात				
तारीख	जिसे भेजा गया है (व्यक्ति का नाम और पता)	परेषण नोट संख्या	बेची हुई/उपभोग की गई/निर्यातित परिमाण	कुल योग

विक्रय, उपभोग या निर्यात				
तारीख	जिसे भेजा गया है (व्यक्ति का नाम और पता)	परेषण नोट संख्या	बेची हुई/उपभोग की गई/निर्यातित परिमाण	कुल योग

7. तिमाही के अंत में अतिशेष
8. क्या विवरणी नियत तारीख के भीतर फाइल की गई है : हां/नहीं
प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दी गई जानकारी सही है और सुसंगत अभिलेख मेरे/हमारे पास उपलब्ध है

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

तारीख.....

टिप्पण :

- (1) परिमाण किलोग्राम में उपदर्शित किया जाएगा ।
- (2) प्रत्येक नियंत्रित पदार्थ के लिए पृथक विवरणी भेजी जाएगी ।
- (3) जो लागू न हो उसे काट दें
- (4) आयात/निर्यात की दशा में रजिस्ट्रीकरण संख्या के स्थान पर स्वापक आयुक्त द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र की संख्या और तारीख उपदर्शित की जाएगी ।
- (5) यह विवरणी स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को भेजी जारी है ।

प्ररूप-छ
[खंड-7 का उप-खंड (1) देखें]
परेषण नोट
 (नियंत्रित पदार्थ के परेषण के साथ भेजने के लिए)

क्रम सं०	परेषण को प्रेषित करने की तारीख और समय	
1.	खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी की गई परेषणकर्ता की रजिस्ट्रीकरण संख्या	
2.	परेषणकर्ता का नाम और पता :	
3.	परेषिती का नाम और पता :	
4.	खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी परेषिती की रजिस्ट्रीकरण संख्या :	
5.	परेषण का विवरण और परिमाण	
नियंत्रित पदार्थ की विशिष्टियां	पैकेज की संख्या	परिमाण (कि.ग्रा.में)
		सकल भार शुद्ध भार

6. परिवहन का तरीका (परिवाहक, गाड़ी की रजिस्ट्रीकरण संख्या, आर.आर./एल.आर, यदि परिवहन रेलवे या माल परिवहन है, की विशिष्टियां, यदि कोई हो)
7. टेम्पर-प्रूफ सीलों की कुल संख्या जो कि मोटर सहित टैंकर/अन्य पैकेजों पर लगी है और उनके प्रत्येक विवरण

परेषणकर्ता के तारीख के साथ हस्ताक्षर
(पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में)

8. परेषिती द्वारा प्राप्त करने की तारीख और समय और उसकी टिप्पणियां

परेषिती के हस्ताक्षर
(पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में)

टिप्पण :

- (1) परेषण नोट को वार्षिक आधार पर क्रमबद्ध संख्यांक दिया जाएगा ।
- (2) परेषणकर्ता को परेषण पुस्तिका में अंतर्विष्ट पृष्ठों के संख्या को दर्शित करते हुए परेषण टिप्पण अंतर्विष्ट करने वाली प्रत्येक पुस्तक के कवर पृष्ठ पर एक प्रमाण-पत्र अभिलिखित करना चाहिए ।
- (3) परेषण नोट अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तक जो उपयोग हुई हो या वर्तमान में उपयोग हो रही है, प्राधिकृत अधिकारी के पूछने पर प्रस्तुत की जाएगी ।

प्ररूप-ज
[खंड-7 का उप-खंड (9) देखें]

परिषणकर्ता के क्षेत्र से बाहर के परिषिती को नियंत्रित पदार्थ के परिवहन की तिमाही रिपोर्ट तिमाही जो.....को समाप्त हो रही है, के लिए विवरणी

1. खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी किया गया परिषणकर्ता की रजिस्ट्रीकरण संख्या
2. परिषणकर्ता का नाम
3. पता
4. नियंत्रित पदार्थ का नाम :
5. क्षेत्रीय निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्र की अधिकारिता को भेजे गए परिषणों के ब्यौरे जिसे रिपोर्ट भेजी जाती है ।

क्रम सं०	जिस तारीख को भेजा गया	परिमाण	जिसे भेजा गया है (खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी की गई रजिस्ट्रीकरण संख्या)	परिषण नोट सं०	परिवहन का तारीका

हस्ताक्षर :

पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में :

पदनाम :

तारीख.....

टिप्पण :

- (1) परिमाण किलोग्राम में उपदर्शित करे
- (2) प्रत्येक नियंत्रित पदार्थ के लिए पृथक विवरणी भेजी जाएगी

प्ररूप-झ
[खंड-9 का उप-खंड (1) देखें]

अनुसूची-क में नियंत्रित पदार्थ के नाशन के लिए आवेदन

1.	खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन जारी किया गया परेषणकर्ता का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	
2.	आवेदक का नाम और पता	
3.	नियंत्रित पदार्थ का नाम	
4.	नियंत्रित पदार्थ का परिमाण जो नाश होना है	
5.	पैकिंग का प्रकार और पैकेजों की संख्या	
6.	नियंत्रित पदार्थ के भंडारण का स्थान, यदि उपरोक्त क्र.सं. 2 से पृथक हो तो	
7.	नाशन का कारण की यह क्यों आवश्यक है	
8.	नियंत्रित पदार्थ के नाशन की प्रस्तावित रीति प्रस्तावित और प्रस्तावित स्थान	
9.	क्या नियंत्रित पदार्थ का परिमाण रजिस्ट्रीकरण के प्ररूप 2-3 में दर्शाया गया है ? यदि हां तो रजिस्टर के सुसंगत पृष्ठ की प्रति संलग्न करें	
10.	क्या नियंत्रित पदार्थ का परिमाण उस विवरणी में दर्शाया है जिसे फाइल किया है ? यदि हां तो फाइल की गई पिछली विवरणी की प्रति संलग्न करें ।	

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

तारीख :

स्थान :

टिप्पण :

- (1) परिमाण किलोग्राम में उपदर्शित किया जाएगा ।
- (2) अनुसूची-क के प्रत्येक नियंत्रित पदार्थ के नाशन के लिए पृथक आवेदन भेजा जाएगा ।
- (3) यह आवेदन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को भेजा जाना है ।

1262 GFI/13-6

प्ररूप-अ
[खंड-10 का उप-खंड (2) देखें]
अनुसूची-ख के नियंत्रित पदार्थ के निर्यात के लिए आवेदन पत्र

1. निर्यातकर्ता (नाम, पता, दूरभाष और फ़ैक्स संख्या) ओषधि/व्यापार अनुज्ञप्ति संख्या : 3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्या और जारीकर्ता प्राधिकारी	2. एनओसी संख्या जारी करने की तारीख जारी करने का स्थान -तक वैद्य (स्वापक के केन्द्रीय ब्यूरो द्वारा भरा जाए)
4. आयातकर्ता (नाम और पता) अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण संख्या	5. जारीकर्ता प्राधिकारी (नाम, पता और टेली-फ़ैसीमाईल संख्या) : भारत के स्वापक आयुक्त, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, वित्त मंत्रालय 19, मॉल रोड, मुरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474006 भारत दूरभाष सं० : 91-751-2368121 और 2368996/2368997 फ़ैक्स सं० : 91-751-2368111/2368577 वेबसाइट : http://cbn.nic.in , http://cbnonline.gov.in ई-मेल : narcom@sanchamet.in , narcommr@cbn.nic.in
6. अन्य आपरेटर/अधिकर्ता (नाम और पता)	7क. आयात प्रमाणपत्र/एनओसी सं० 7ख. जारीकर्ता प्राधिकारी (नाम और पता) दूरभाष सं० : फ़ैक्स संख्यांक :
8. अंतिम परेषिती/पुनःविक्रय की दशा में (नाम और पता)	9. भारत से निकासी का स्थान 10. परिवहन का तरीका 11. आयातक देश में प्रवेश का स्थान 12. मार्ग

13. निर्यात किए जाने वाले पदार्थ का पूरा नाम	परिमाण	वजन/मात्रा प्रति ईकाई	14. एचएस संख्या	15. सीएस संख्या	16. नियंत्रित पदार्थ का शुद्ध भार (किलोग्राम में)
(1)					
कार्टन की संख्या : प्रत्येक पैकेट/कार्टन का भार : प्रति ईकाई/कि.ग्रा. : रु० में..... यूएस \$ में..... कुल लागत : रु० में..... यूएस \$ में.....					17. मिश्रण का % 18. बीजक संख्या

निर्यातकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली पृष्ठभूमि की जानकारी (नीचे दिए गए प्रश्न संव्यवहार की जानकारी के लिए हैं और इनका आशय इस आवेदन पर शीघ्र कार्यवाही हेतु केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की सहायता करना है। पूर्ण जवाब देने में चूक होने पर एनओसी विलंब से जारी हो सकता है।)	
19. क्या निर्यात पुनःनिर्यात के प्रयोजन से किया जा रहा है ? यदि हां तो कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें।	हां/नहीं
20. क्या आपकी कंपनी रसायनों के निर्यात के लिए पूर्व से ही केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा प्राधिकृत है ? यदि हां तो पिछले 3 निर्यातों की तारीख और निर्देश प्रस्तुत करें। (1)..... (2)..... (3).....	हां/नहीं
21. क्या परेषिती इस रसायन के लिए नया उपभोक्ता है ? यदि हां तो उपभोक्ता के कारबार की प्रकृति क्या है ? रसायन किस उपयोग में लाया जाएगा ?	हां/नहीं
22. क्या आर्डर प्रत्यक्षतः दिया गया था या किसी दलाल द्वारा दिया गया था ? यदि दलाल द्वारा दिया गया था तो कृपया उसका नाम और पता बताएं :	हां/नहीं
23. क) संव्यवहार के लिए संदाय का तरीका ? ख) संदाय पाने वाले का नाम और पता..... ग) संदाय का परिहार करने वाले बैंक का नाम और पता..... घ) संदाय प्राप्त करने वाले बैंक का नाम और पता.....	
24. कृपया परेषण की पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए उपभोक्ता के निर्देशों के ब्यारे दीजिए :	हां/नहीं
25. क्या परेषण का गंतव्य निश्चित है, या अभिवहन होगा या मुक्त व्यापार जोन, मुक्त पत्तन या बंधित मंडागार है ? यदि हां तो कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें :	हां/नहीं
26. क्या आयातक देश के सक्षम प्राधिकारियों ने आयात को प्राधिकृत कर दिया है ? कृपया साक्ष्य के लिए आयात प्राधिकार/अनापत्ति-प्रमाण पत्र और अन्य सुसंगत दस्तावेजों की मूल प्रति संलग्न करें।	हां/नहीं
27. क्या आप विनिर्माता निर्यातकर्ता हैं ? यदि हां तो आप कच्चा माल/तैयार उत्पाद कहां से उपाप्त करते हैं ? प्रदायकर्ता/विनिर्माता का नाम और पता और उसका परिमाण और कीमत कच्चे माल के प्रदायकर्ता के ओषधि अनुज्ञप्ति की प्रति, जहां लागू हो ?	हां/नहीं
28. क्या आप व्यापारी निर्यातकर्ता है ? यदि हां तो आप नियंत्रित पदार्थों को कहां से उपाप्त करते हैं ? प्रदायकर्ता/विनिर्माता का नाम और पता और उसका परिमाण और कीमत। नियंत्रित पदार्थों के प्रदायकर्ता/विनिर्माता की ओषधि अनुज्ञप्ति की प्रति, जहां लागू हो।	हां/नहीं
29. आवेदक द्वारा घोषणा :	

मैं अपने सर्वोत्तम विश्वास से पुष्टि करता हूँ कि इस आवेदन में दी गई सभी जानकारियाँ सत्य हैं ।	
हस्ताक्षर :	कंपनी/फर्म में स्थान :
नाम :	(आवेदक) मुहर/सील
प्रतिनिधित्व :	
तारीख :	

आवेदन के साथ प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों की सूची

- (i) यदि नियंत्रित पदार्थ अनुसूची-क में भी है तो उसका इस आदेश के खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन हुए रजिस्ट्रीकरण की प्रति ।
- (ii) प्रस्तावित निर्यात के लिए क्रेता/अधिकर्ता द्वारा प्रस्तुत क्रय आर्डर ;
- (iii) आयातक देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल आयात प्रमाणपत्र (जहां लागू हो)
- (iv) विनिर्माता निर्यातकर्ता के होने की दशा में, वैद्य ओषधि विनिर्माण अनुज्ञप्ति की प्रति के साथ राज्य ओषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित उत्पादों की सूची, यदि निर्यात किए जाने के लिए आशयित नियंत्रित पदार्थ ओषधि के प्रवर्ग में आता है ।
- (v) निर्यातकर्ता के व्यापारी होने की दशा में, राज्य ओषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा ओषधियों के विक्रय के लिए जारी, बेचने स्टॉक या प्रदर्शन (या प्रस्ताव) की वैद्य अनुज्ञप्ति की प्रति । साथ ही नियंत्रित पदार्थों के प्रदायकर्ता/विनिर्माता की ओषधि अनुज्ञप्ति की प्रति, जहां लागू हो ।
- (vi) आयातक/अंतिम परेषिती द्वारा आशयित अंतिम उपयोग की घोषणा ।

नियंत्रित पदार्थों का पहली बार निर्यात करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची

- (क) नियंत्रित पदार्थ विनिर्माता कंपनी के विभिन्न कारखानों का पूर्ण डाक पता और दूरभाष और फैक्स संख्या जिसके अंतर्गत कारखानों के संबंध में अधिकारिता वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभार और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय तथा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय हैं ।
- (ख) कंपनी द्वारा विनिर्माण किए जा रहे नियंत्रित पदार्थों की सूची और पिछले तीन कैलेंडर वर्षों (1 जनवरी से 31 दिसंबर) में कंपनी द्वारा नियंत्रित पदार्थों के ब्यौरे ।
- (ग) पिछले तीन कैलेंडर वर्षों में (1 जनवरी से 31 दिसंबर) के दौरान कंपनी द्वारा नियंत्रित पदार्थों के निर्यात/आयात के ब्यौरे ।
- (घ) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों, स्वामिनों/भागीदारों, उत्पादन और वित्त के भार साधक के नाम, पते, दूरभाष और फैक्स संख्या ।
- (ङ) विक्रय कर/मूल्य वर्धित कर रजिस्ट्रीकरण सं०, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण सं० और कंपनी की पैन सं०, आयात-निर्यात कोड, कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के साथ कंपनी के निगमन का प्रमाणपत्र/भागीदारी विलेख (इन दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत की जाएंगी) ।

- (च) संबंधित अधिकारिता वाले सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय का नाम ।
- (छ) पिछले तीन वर्षों का कंपनी/फर्म का वित्तीय कथन ।
- (ज) कंपनी की रूपरेखा ।
- (झ) निदेशक बोर्ड/कंपनी/फर्म के स्वामी/भागीदार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत, प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के नमूना हस्ताक्षर के साथ कंपनी/फर्म के दो प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के ब्यौरे ।

प्ररूप-ट

[खंड-11 का उप-खंड (2) देखें]

अनुसूची-ग के नियंत्रित पदार्थ के आयात के लिए आवेदन पत्र

1. आयातकर्ता (नाम, पता, दूरभाष और फैक्स संख्या) ओषधि/व्यापार अनुज्ञप्ति संख्या : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्या और जारीकर्ता प्राधिकारी	2. एनओसी संख्या जारी करने की तारीख जारी करने का स्थान तक वैध (स्वापक के केन्द्रीय ब्यूरो द्वारा भरा जाए)	
	3. प्रेषित करने की अपेक्षित तारीख	
4. आयातकर्ता (नाम और पता) अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण संख्या	5. जारीकर्ता प्राधिकारी (नाम, पता और टेली-फेसीमाईल संख्या) : भारत के स्वापक आयुक्त, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, वित्त मंत्रालय 19, मॉल रोड, मुंगेर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474006 भारत दूरभाष सं० : 91-751-2368121 और 223688996/2368997 फैक्स सं० : 91-751-2368111/2368577 वेबसाइट : http://cbn.nic.in , http://cbnonline.gov.in ई-मेल : narcom@sanchamet.in , narcommr@cbn.nic.in	
6. अन्य आपरेटर/अधिकर्ता (नाम और पता)	7क. ओषधि नियंत्रक की सिफारिश : 7ख. जारीकर्ता प्राधिकारी (नाम और पता) दूरभाष सं० : फैक्स संख्यांक :	
8. अंतिम परेषिती/पुनःविक्रय की दशा में (नाम और पता)	9. भारत में प्रवेश का स्थान	10. परिवहन का तरीका
	11. निर्यातक देश से प्रवेश का स्थान	12. मार्ग

13. आयात किए जाने वाले पदार्थ का पूरा नाम	परिमाण	वजन/मात्रा प्रति ईकाई	14. एचएस संख्या	15. सीएस संख्या	16. नियंत्रित पदार्थ का शुद्ध भार (किलोग्राम में)
(1)					
कार्टन की संख्या : प्रत्येक पैकेट/कार्टन का भार : प्रति ईकाई/कि.ग्रा. : ₹० में..... यूएस \$ में..... कुल लागत : ₹० में..... यूएस \$ में.....					17. मिश्रण का % 18. बीजक संख्या

1262 GDI/3-7

आयातकों द्वारा दी जाने वाली पृष्ठभूमि की जानकारी (नीचे दिए गए प्रश्न संव्यवहार की जानकारी के लिए हैं और इनका आशय इस आवेदन पर शीघ्र कार्यवाही हेतु केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की सहायता करना है। पूर्ण जवाब देने में चूक होने पर प्राधिकार विलंब से जारी हो सकता है।)	
19. क्या आयात भारत में निर्यात/पुनःविक्रय के प्रयोजन से किया जा रहा है ? यदि हां तो कृपया ब्यौरा प्रस्तुत दीजिए।	हां/नहीं
20. क्या आपकी कंपनी इन रसायनों का पूर्व में आयात कर चुकी है ? यदि हां तो कृपया पिछले 3 सालों के आयातित परेषण के अनुसार निर्देश तारीख और लागत प्रस्तुत करें। (1)..... (2)..... (3).....	हां/नहीं
21. रसायन के आयात का प्रयोजन। क्या आप विनिर्माता या व्यापारी हैं, कृपया उपदर्शित करें। (क) यदि व्यापारी है तो, अंततः परेषण किसके पास जाएगा। अंतिम उपयोक्ता का नाम और पता, विक्रय कीमत और उसके द्वारा क्रय करने का प्रयोजन। (ख) यदि विनिर्माता हैं तो आयातित रसायन से कितना तैयार उत्पाद अभिप्राप्त होगा (आगत-निर्गत अनुपात) ? तैयार उत्पाद की विक्रय कीमत क्या होगी ? इन रसायनों का क्या उपयोग किया जाएगा ?	हां/नहीं
22. क्या आर्डर प्रत्यक्षतः दिया गया था या किसी दलाल द्वारा दिया गया था ? यदि दलाल द्वारा दिया गया था तो कृपया उसका नाम पता और उसे संदत प्रतिफल की मात्रा बताएं :	हां/नहीं
23. क) संव्यवहार के लिए संदाय का तरीका ?	
24. क्या आपने इस रसायन को घरेलू बाजार से उपाप्त किया है (एक वर्ष के भीतर) यदि हां तो उसके प्रदायकर्ता का नाम और पता सहित ब्यौरा दीजिए (मात्रा के अनुसार और क्रय की कीमत) :	हां/नहीं
25. पिछले तीन सालों के दौरान रसायन उपारित और उपभोग/पुनःविक्रय/प्रसंस्करण हानि (यदि है) का ब्यौरा दें :	हां/नहीं
26. क्या राज्य/देश के ओषधि नियंत्रण प्राधिकारियों से प्रस्तावित आयात के लिए विशिष्ट अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त है ? साक्ष्य के रूप में ओषधि नियंत्रक द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति और अन्य सुसंगत दस्तावेजों की मूल प्रति संलग्न करें।	हां/नहीं
27. आवेदक द्वारा घोषणा : मैं अपने सर्वोत्तम विश्वास से पुष्टि करता हूँ कि इस आवेदन में दी गई सभी जानकारियां सत्य है। हस्ताक्षर :कंपनी/फर्म में स्थान : नाम :(आवेदक) मुहर/सील प्रतिनिधित्व : तारीख :	

आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

- (i) यदि नियंत्रित पदार्थ अनुसूची-क में भी है तो, इस आदेश के खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन हुए रजिस्ट्रीकरण की प्रति ।
- (ii) विदेशी विक्रेता द्वारा करार/संविदा/क्रय आर्डर की पुष्टि की प्रति ।
- (iii) ओषधि महानियंत्रक (भारत) द्वारा जारी की गई परीक्षण, प्रयोग और विश्लेषण के प्रयोजन के लिए ओषधि के आयात की अनुज्ञप्ति (ओषधि और प्रसाधन नियम, 1945 का प्ररूप 11), यदि आयात परीक्षण, और विश्लेषण के लिए किया जा रहा है ।
- (iv) ओषधि महानियंत्रक (भारत) द्वारा जारी की गई ओषधि के आयात (ओषधि और प्रसाधन नियम, 1945 का प्ररूप 10), यदि आयात व्यापार करने या विनिर्माण सूत्रीकरण के उपयोग के लिए है ।
- (v) पूर्व में आयतित नियंत्रित पदार्थों से संबंधित निबटान ब्यौरा ।
- (vi) विनिर्माता के मामले में, जहां कहीं लागू हो, राज्य ओषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा यथा-अनुमोदित उत्पादों की सूची के साथ वैद्य ओषधि विनिर्माण अनुज्ञप्ति की प्रति ।
- (vii) व्यापारी के मामले में, जहां कहीं लागू हो, राज्य ओषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी ओषधि के विक्रय और वितरण के लिए बेचने स्टॉक या प्रदर्शन (या प्रस्ताव) की वैद्य अनुज्ञप्ति की प्रति ।

नियंत्रित पदार्थों का पहली बार आयात करने वाले व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची

- (क) नियंत्रित पदार्थ विनिर्माता कंपनी के विभिन्न कारखानों का पूर्ण डाक पता और दूरभाष और फैंक्स संख्या जिसके अंतर्गत कारखानों के संबंध में अधिकारिता वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभार और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय तथा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय हैं ।
- (ख) कंपनी द्वारा विनिर्माण किए जा रहे नियंत्रित पदार्थों की सूची और पिछले तीन कैलेंडर वर्षों (1 जनवरी से 31 दिसंबर) में कंपनी द्वारा नियंत्रित पदार्थों के ब्यौरे ।
- (ग) पिछले तीन कैलेंडर वर्षों में (1 जनवरी से 31 दिसंबर) के दौरान कंपनी द्वारा नियंत्रित पदार्थों के निर्यात/आयात के ब्यौरे ।
- (घ) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों, स्वामियों/भागीदारों, उत्पादन और वित्त के भार साधक के नाम, पते, दूरभाष और फैंक्स संख्या ।
- (ङ) विक्रय कर/मूल्य वर्धित कर रजिस्ट्रीकरण सं०, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण सं० और कंपनी की पैन सं०, आयात-निर्यात कोड, कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद के साथ कंपनी के निगमन का प्रमाणपत्र/भागीदारी विलेख (इन दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत की जाएंगी) ।
- (च) संबंधित अधिकारिता वाले सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय का नाम ।
- (छ) पिछले तीन वर्षों का कंपनी/फर्म का वित्तीय कथन ।

- (ज) कंपनी की रुपरेखा ।
 (झ) निदेशक बोर्ड/कंपनी/फर्म के स्वामी भागीदार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत, प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के नमूना हस्ताक्षर के साथ कंपनी/फर्म के दो प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के ब्यौरे ।

[फा. सं. एन/11012/3/2010-एनसी-II]

सत्य नारायण दास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2013

G.S.R. 191(E).—In exercise of the powers conferred by section 9A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Order, 2013.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In this Order, unless the context otherwise requires, —

- (a) “Act” means the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985);
 (b) “Appendix” means the Appendix appended to this Order;
 (c) “Form” means a form annexed to this Order;
 (d) “Schedule” means the Schedules annexed to this Order.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the same meaning as defined in the Act.

3. Power to include Controlled Substance in Schedules.— The Central Government may, by notification in the Official Gazette, include any controlled substance in one or more Schedules.

4. Prohibition of manufacture, trade and commerce, possession and consumption of controlled substance in ‘Schedule-A’.— (1) No person shall manufacture, distribute, sell, purchase, possess, store, or consume any controlled substance included in Schedule-A without a unique registration number in Form-A issued by the Zonal Director of Narcotics Control Bureau:

Provided that the requirement of registration under this clause shall be complied within a period of 180 days of the coming into force of this Order:

Provided further that the Government or autonomous institutions, Schools or Colleges or Universities recognised by the Government, registered Scientific Societies and Hospitals using any controlled substance in Schedule-A for educational, scientific and analytical purposes are exempted from the registration.

(2) Every application for registration under sub-clause (1) shall be made in Form-B to the Zonal Director of Narcotics Control Bureau having jurisdiction over the area.

(3) The Zonal Director of Narcotics Control Bureau shall issue a unique registration number in Form-A or deny the registration within thirty working days from the date of receipt of an application in Form-B.

(4) In case the registration number is not issued within the stipulated time period or denied, the Zonal Director of Narcotics Control Bureau or any other officer authorised by him in this regard shall inform the applicant the reasons thereof.

(5) Every person who has been registered under sub-clause (1) shall maintain daily accounts in Form-C or Form-D, as the case may be and the records of the daily accounts shall be preserved for a minimum period of five years from the date of last entry.

(6) Every person who has been registered under sub-clause (1) shall file quarterly return in Form-E or Form-F, as the case may be, to the concerned Zonal Director of the Narcotics Control Bureau having jurisdiction over the area.

(7) The return of every quarter shall be filed before the last day of the month following that quarter.

(8) Every person who has been registered under sub-clause (1) shall immediately report regarding any loss or disappearance of the controlled substance in Schedule-A to the concerned Zonal Director of Narcotics Control Bureau within whose area of jurisdiction such loss or disappearance occurred and a copy of the report shall also be endorsed to the Director General, Narcotics Control Bureau, New Delhi .

Explanation. 1.- For the purpose of this clause, the area of jurisdiction of a Zonal Director of Narcotics Control Bureau shall be the area as specified in the Appendix.

Explanation. 2.- For the purpose of this Clause, the expression "quarters" shall be January to March, April to June, July to September and October to December of every year.

5. Surrender of registration.- A holder of a registration number issued under sub-clause (1) of clause 4 may, if he so desires, surrender his registration by giving notice in writing to the issuing authority and obtaining acknowledgement therefor.

6. Disposal of stocks on surrender of registration.- The stocks of controlled substance in Schedule-A as may be in the possession of a holder of a registration number issued under sub-clause (1) of clause 4, on the surrender of his registration, shall be disposed of in such manner as may be specified by the issuing authority in this behalf.

7. Transport of controlled substance in Schedule-A.— (1) No consignment of controlled substance in Schedule-A shall be moved from one place to another place, within India, except when it is accompanied by a consignment Note in Form-G.

(2) The consignment Note shall be prepared in triplicate and the original and duplicate copies of the consignment Note shall be sent along with the consignment to the consignee, who shall return the duplicate copy to the consignor for retention after endorsing on the original and duplicate copies the particulars of quantity received by him.

1262 9/13-8

(3) In case of non-receipt of duplicate copy by the consignor, duly endorsed by the consignee acknowledging the receipt of the consignment of controlled substance, the consignor shall report loss or disappearance of the consignment in the manner provided in sub-clause (8) of clause 4 within forty-five days from the date of dispatch of the consignment.

(4) In the case of any consignment of controlled substance in Schedule-A is imported into India, such consignment from the port of entry to any warehouse or factory or business establishment or premises of the importer or consumer, as the case may be, shall be accompanied by a Bill of Entry.

(5) The consignment Note or the Bill of Entry, as the case may be, shall be preserved for a minimum period of five years by the consignor and the consignee or importer, as the case may be.

(6) No transporter shall carry any consignment of controlled substance in Schedule-A without a consignment Note or Bill of Entry.

(7) The transporter shall produce the consignment Note or Bill of Entry, as the case may be, when required by an officer empowered under section 42 of the Act.

(8) (a) Whenever controlled substance in Schedule-A are transported by motorised tankers or otherwise by packages, all the inlets and outlets of such tankers or packages, as the case may be, shall be sealed with tamper-proof seals each of which shall have identifiable description and such seal shall be affixed at the premises of the consignor and removed at the premises of the consignee.

(b) The description of tamper-proof seal affixed on such tankers or packages shall be entered on the consignment Note or Bill of Entry of each consignment.

(c) No person shall use or possess any tamper-proof seal which has identifiable description on it identical to another tamper-proof seal.

(9) Whenever a consignment of controlled substance in Schedule-A is transported from the area which comes within the jurisdiction of a Zonal Director of the Narcotics Control Bureau to an area which comes within the jurisdiction of another Zonal Director of the Narcotics Control Bureau, the consignor shall send a quarterly report to the latter Zonal Director in Form-H.

Explanation.1.- For the purpose of this clause, the expression "Bill of Entry" shall have the same meaning as defined in the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

Explanation.2.- For the purpose of this clause, the jurisdiction of a Zonal Director of Narcotics Control Bureau shall be the area as specified in the Appendix.

8. Selling of controlled substance in Schedule-A.— No person shall sell a controlled substance in Schedule-A to a buyer who does not possess a valid registration number issued under sub-clause (1) of clause 4:

Provided that a controlled substance may be sold to a buyer specified in second proviso to sub-clause (1) of clause 4 without a registration number.

9. Destruction of controlled substance in Schedule-A.— (1) Any person intending to destroy a controlled substance in Schedule-A shall apply in Form-I to the concerned Zonal Director of the Narcotics Control Bureau having jurisdiction over the area.

(2) The Zonal Director of the Narcotics Control Bureau shall, within a period of thirty days of the receipt of an application in Form-I, appoint a Committee comprising a Gazetted Officer of the Narcotics Control Bureau, Superintendent of Central Excise of the concerned range and an authorised representative of the applicant for supervising the destruction of controlled substance in Schedule-A and any such destruction shall be carried out within a period of thirty days from the appointment of the Committee.

Explanation. - For the purpose of this clause, the jurisdiction of a Zonal Director of Narcotics Control Bureau shall be the area as specified in the Appendix.

10. Export of controlled substance in Schedule-B. — (1) No person shall export any controlled substance in Schedule-B except in accordance with the conditions of the No Objection Certificate issued by the Narcotics Commissioner.

(2) Anyone who intends to export a controlled substance in Schedule-B shall apply to the Narcotics Commissioner in Form-J for a No Objection Certificate.

(3) The Narcotics Commissioner shall issue or deny the No Objection Certificate within a period of twenty one working days from the date of receipt of application and in case the No Objection Certificate is not issued within the stipulated time period or denied, the Narcotics Commissioner or any other officer authorised by him in this regard shall inform the applicant the reasons thereof.

(4) The No Objection Certificate for export issued by Narcotics Commissioner shall be valid for a single consignment only.

(5) Every exporter shall submit the details and documents relating to the export, such as invoice, cargo manifests, customs, transport and shipping documents relating to the export of the controlled substance in Schedule-B which shall contain the details such as name of the controlled substance, quantity, name and address of the consignee, exporter and the importer, to the Narcotics Commissioner within a period of seven days of export.

11. Import of controlled substance in Schedule-C.— (1) No person shall import any controlled substance in Schedule-C except in accordance with the conditions of the No Objection Certificate issued by the Narcotics Commissioner.

(2) Anyone who intends to import a controlled substance included in Schedule-C shall apply to the Narcotics Commissioner in Form-K for a No Objection Certificate.

(3) The Narcotics Commissioner shall issue or deny the No Objection Certificate within twenty one working days from the date of receipt of application and in case the No Objection Certificate is not issued within the stipulated time period or denied, the Narcotics Commissioner or any other officer authorised by him in this regards shall inform the applicant the reasons thereof.

(4) The No Objection Certificate for import issued by the Narcotics Commissioner shall be valid for a single consignment only.

(5) Every importer shall submit the details and documents relating to the import, such as invoice, cargo manifests, customs, transport and shipping documents relating to the import of the controlled substance in Schedule-C which shall contain the details such as name of the controlled substance, quantity and the name and address of the consignee, exporter and the importer, to the Narcotics Commissioner within a period of seven days of import.

12. Labeling of consignment for export or import.— (1) Every container or vessel containing a controlled substance in a consignment for export or in a consignment which is imported shall be labeled prominently giving details of the name and quantity of the controlled substance, name and address of the exporter and importer and the consignee if any.

(2) The documents relating to the import or export of the controlled substance such as invoice, cargo manifests, customs, transport and shipping documents shall contain the details such as name of the controlled substance, quantity and the name and address of the consignee, exporter and the importer and the documents shall be preserved for a minimum period of five years.

13. Repeal and savings.— (1) The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Regulation of Controlled Substances) Order, 1993 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the order repealed by sub-clause (1) shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this order, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this order.

SCHEDULE

[See clause 2 (d)]

SCHEDULE –A (Schedule-A substances are those controlled substance whose manufacture, distribution, sale, purchase, possession, storage and consumption is subject to controls as specified in this Order.)

1. Acetic anhydride
2. N-Acetylanthranilic acid
3. Anthranilic acid
4. Ephedrine and its salts
5. Pseudoephedrine and its salts

SCHEDULE –B (Schedule-B substances are those controlled substance whose export from India is subject to controls as specified in this Order.)

1. Acetic anhydride
2. N- Acetylanthranilic acid
3. Anthranilic acid
4. Ephedrine, its salts and preparations thereof
5. Ergometrine and its salts
6. Ergotamine and its salts
7. Isosafrole
8. Lysergic acid and its salts
9. 3,4-methylenedioxyphenyl-2-propanone
10. Methyl ethyl ketone
11. Norephedrine (Phenylpropanolamine), its salts and preparations thereof
12. 1-phenyl-2-propanone
13. Phenylacetic acid and its salts
14. Piperonal
15. Potassium permanganate
16. Pseudoephedrine, its salts and preparations thereof
17. Safrole and any essential oil containing 4% or more safrole

SCHEDULE –C (Schedule-C substances are those controlled substance whose import into India is subject to controls as specified in this Order.)

1. Acetic anhydride
2. N-Acetylanthranilic acid
3. Anthranilic acid
4. Ephedrine, its salts and preparations thereof
5. Ergometrine and its salts
6. Ergotamine and its salts
7. Isosafrole
8. Lysergic acid and its salts
9. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone
10. Methyl ethyl ketone
11. Norephedrine (Phenylpropanolamine), its salts and preparations thereof
12. 1-phenyl-2-propanone
13. Phenylacetic acid and its salts
14. Piperonal
15. Potassium permanganate
16. Pseudoephedrine, its salts and preparations thereof
17. Safrole and any essential oil containing 4% or more safrole

126267/3-9

APPENDIX

Area of jurisdiction of a Zonal Director of Narcotics Control Bureau

Sl. No.	Area	Area jurisdictional Zonal Director of Narcotics Control Bureau
1.	Delhi, National Capital Region (NCR) and Haryana.	Zonal Director, Narcotics Control Bureau, Delhi Zonal Unit, West Block No. 1, Wing No. 7, 2 nd Floor, R.K. Puram, New Delhi – 110066. Fax No. 011-26181449
2.	State of Rajasthan (excluding the areas of the State included in National Capital Region)	Zonal Director, Narcotics Control Bureau, Jodhpur Zonal Unit, Sector – 18E, Chaupasini Housing Board, Jodhpur, Rajasthan. Fax No. 0291-2510092
3.	States of Uttar Pradesh (excluding the areas of the State included in National Capital Region) and Uttrakhand.	Zonal Director, Narcotics Control Bureau, B-912, Sector-A, CID Colony, Mahanagar Lucknow, Uttar Pradesh. Fax No. 0522-2339411
4.	States of West Bengal, Odisha, Sikkim and Union territory of Andaman and Nicobar islands.	Zonal Director, Narcotics Control Bureau, Eastern Zonal Unit, Kolkata, 4/2 Karaya Road, 3 rd Floor, Kolkata, West Bengal – 700017. Fax No. 033-22891957
5.	States of Maharashtra and Goa.	Zonal Director, Narcotics Control Bureau, Mumbai Zonal Unit, 3 rd Floor, Exchange Building, Sprott Road, Ballard Estate, Mumbai, Maharashtra – 400001.
6.	States of Kerala, Tamil Nadu and the Union territories of Puducherry and Lakshadweep.	Zonal Director, Narcotics Control Bureau, Chennai Zonal Unit, C-3A, Rajaji Bhawan, Besant Nagar, Chennai, Tamil Nadu – 600090. Fax No. 044-24910937
7.	States of Punjab, Himachal Pradesh and the Union territory of Chandigarh.	Zonal Director, Narcotics Control Bureau, Chandigarh Zonal Unit, Electric Store Building, Near Chitkara Int. School, Sector -25(Wes), Chandigarh. Fax No. 0172-2780108

8.	State of Jammu and Kashmir.	Zonal Director, Narcotics Control Bureau, Jammu Zonal Unit, Chandan Vihar, H. No. 1, Lane-1, Lower Roop Nagar, Muthi Camp, Jammu, Jammu and Kashmir - 180005. Fax No. 00191-2598029
9.	State of Gujarat and the Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli.	Zonal Director, Narcotics Control Bureau, Ahmedabad Zonal Unit, 2 nd & 3 rd Floor, Screen Building, Drive-in-Cinema, Drive-in-Road, Thaltej, Ahmedabad, Gujarat - 380 054. Fax No. 079-27497330
10.	States of Madhya Pradesh and Chhattisgarh.	Zonal Director, Narcotics Control Bureau, Indore Zonal Unit, 19/C/A/SLICE-5, Scheme No. 78, "Aranya", P.O.-Vijay Nagar, Indore, Madhya Pradesh - 452 010. Fax No. 0731-2557701.
11.	States of Bihar and Jharkhand.	Zonal Director, Narcotics Control Bureau, Patna Zonal Unit, 67, Kautilya Nagar, Near VB College Patna-14, Bihar. Fax No. 0612-2296159.
12.	States of Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Manipur.	Zonal Director, Narcotics Control Bureau, Guwahati Zonal Unit, House No. 25, S.K. Baruah Road, 1 st bye-lane, Dispur, Guwahati, Assam-781006. Fax No. 0361-2229375
13.	States of Karnataka and Andhra Pradesh.	Zonal Director, Narcotics Control Bureau, Bangalore Zonal Unit, 7/1&2, Priyanka Vilas, Ramanna Garden Kattigenahalli, Baglur Main Road, Post - Air Force Station Yelahanka, Bangalore, Karnataka - 560063. Fax No. 080-28478316

FORM-A**[See sub-clause (1) of clause 4]**

Registration for **manufacture / distribution / sale / purchase / possession / storage /
consumption of controlled substance in Schedule-A**

Registration No _____

Date of issue: _____

_____ (Name and address) _____ is hereby registered to (strikeout
whichever is not applicable)

(1) Manufacture

(2) Distribution

(3) Sale

(4) Purchase

(5) Possession

(6) Storage


(7) Consumption

(8) Others (Please specify)

following controlled substance in Schedule-A

Sl. No.	Name of controlled substance in Schedule-A	Details of the premises

2. This registration is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the order for the time being in force under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985).



Signature.....

Name in block letter.....

Designation.....

Conditions of registration

1. This registration is not transferable.
2. This registration shall be kept on the approved premises and shall be produced at the request of an officer designated / authorised for the purpose by the authority issuing this registration.
3. No controlled substance in Schedule-A, other than the substance for which this registration has been issued, shall be manufactured in the respective premises mentioned herein.
4. The holder of this registration shall inform the authority issuing this registration in writing in the event of any change in the constitution of the person or the entity operating under the registration. Where any change in the constitution of the person or the entity takes place the current registration shall be deemed to be valid for a maximum period of three months from the date on which the change takes place, unless in the meantime, a fresh registration has been taken from the authority issuing this registration in the name of the person or the entity with the changed constitution.

Form-B
[See sub-clause (2) of clause 4]

**Application for registration for manufacture / distribution / sale / purchase /
possession / storage / consumption of controlled substance in Schedule-A.**

For Official Use only			
Registration No.		Date of Issue	

Part-I

(A) Name of the controlled substance and its salts in Schedule-A for which registration is applied for:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

(B) Purpose for which registration is applied for (Please put $\sqrt{}$ in appropriate box):

- | | |
|--|--|
| (1) Manufacture <input type="checkbox"/> | (2) Distribution <input type="checkbox"/> |
| (3) Sale <input type="checkbox"/> | (4) Purchase <input type="checkbox"/> |
| (5) Possession <input type="checkbox"/> | (6) Storage <input type="checkbox"/> |
| (7) Consumption <input type="checkbox"/> | (8) Others (Please specify) <input type="checkbox"/> |

Part-II

(A) Name of the Applicant :

(B) Complete postal address with PIN Code / Telephone / Fax Number (with city code) / e-mail ID:

1262 20/13-10

- (G) Definite boundaries of the business premises :
(Description should correspond to the land revenue records)

- 1) North : _____
2) South : _____
3) East : _____
4) West : _____

- (H) Details of property holding rights of the applicant with respect to the business premises for which registration is applied for (Please put \checkmark in appropriate box):

Ownership		Lease / Rent	
If owned whether		Mortgaged	
		Hypothecated	
Please specify details of mortgage / hypothecation			

- (I) Name designation and address of the person signing this Application Form and of the authorised persons:

- 1) Person signing this Application Form:

Name	
Designation	
Address	
Contact numbers	
e-mail ID	
Conviction / pending cases under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (If yes, details should be given in a separate sheet).	Yes (Y) / No (N) <input type="checkbox"/>
Specimen signature	
One copy of photo identity card issued by a Government Organisation / Election Commission to be attached	

Note: (1) Above details in respect of all authorised persons shall be given in a separate sheet.

(2) Copy of the authorisation letter in respect of all persons shall be attached

Part-III

(A) Business transaction Numbers obtained from Government Agencies / Departments:

		Validity up to
Central excise registration number		
Central sales tax number		
State sales tax number		
Sales tax registration number		
Customs registration number		
Directorate General of Foreign Trade's Import Export Code Number		
Registrar of Companies CIN Number		
Licence (s) issued under the Drugs and Cosmetics Act, 1940		
Others (please specify)		

DECLARATION

I, _____ hereby declares that the information given in this Application Form is true, correct and complete in every respect and that I am authorised to sign on behalf of the applicant.

Date:

Place

(Signature of the applicant / authorised person with stamp)

List of enclosures:

- (1) _____
- (2) _____
- (3) _____
- (4) _____
- (5) _____
- (6) _____
- (7) _____

Note:

- (1) Application Form should be signed on each page by the applicant / authorised person.
- (2) Any information not available at the time of submitting this Application Form shall be provided as and when available, even after the issue of registration.

FORM-C
[See sub-clause (5) of clause 4]

Register of manufacture of controlled substances in Schedule-A

Registration number issued under sub-clause (1) of clause 4: _____

Month: _____ Name of controlled substance: _____

Date	Quantity in hand at the beginning of the day	Quantity of the substance manufactured	Details of quantity of controlled substance sent out of the factory		
			Serial No.	Quantity sent	To Whom sent (Registration number, name and address of the person and location of the premises to be given)
1	2	3	4	5	6

Total quantity sent out of the factory	Handling losses, if any	Quantity in hand at the close of the day	Initial of the authorised person
7	8	9	10

Note:

- (1) The quantity shall be indicated in kilograms.
- (2) This record shall be maintained on day-to-day basis and entries shall be made for each day the establishment opens for work irrespective of whether there is any transaction or not and entries shall be completed for each day before the close of the day and the person authorised to maintain the accounts shall put his initial after the entries. Each page of the register shall contain the running serial number.
- (3) If more than one controlled substance is dealt with, separate register shall be maintained for each of such substances.

1262 GI/13-11

FORM--D

[See sub-clause (5) of clause 4]

Register of consumption, sale, import or export of controlled substance in Schedule-A

Registration number issued under sub-clause (1) of clause 4: _____

Month: _____

Name of controlled substance: _____

Date:	Quantity in hand at the beginning of the day	Details of quantity of the substance received / imported			
		Sl. No.	Quantity	From whom received (Registration number, name and address of the person to be given)	Consignment Note/Bill of Entry No.
1	2	3	4	5	6

Details of quantity of the substance distributed/sold/exported /consumed					
Sl. No.	Quantity	To whom sold / sent (Registration number, name and address of the person and location of the premises to be given)	Consignment Note / Issue Slip No.	Consumed	Purpose for consumption
7	8	9	10	11	12

Handling loss, if any	Quantity in hand at the close of day	Initial of the authorised person
13	14	15

Note:

- (1) The quantity shall be indicated in kilograms.
- (2) This record shall be maintained on day-to-day basis and entries shall be made for each day the establishment opens for work irrespective of whether there is any transaction or not and entries shall be completed for each day before the close of the day and the person authorised to maintain the accounts shall put his initial after the entries. Each page of the register shall contain the running serial number.
- (3) If more than one controlled substance is dealt with, separate register shall be maintained for each of such substances.
- (4) In case of import / export, in place of registration number, number and date of the No Objection Certificate issued by the Narcotics Commissioner shall be indicated.
- (5) Strike out whichever is not applicable.

FORM-E
[See sub-clause (6) of clause 4]

Quarterly return of manufacture of controlled substance in Schedule-A

Return for the quarter ending on.....

1. Registration number issued under sub-clause (1) of clause 4
2. Name of the manufacturer
3. Address
4. Name of the controlled substance
5. Opening balance of the controlled substance at the beginning of the quarter
6. Details of manufacture and sale

Manufacture		Sale			
Date	Quantity	Date	To whom sold (Registration Number, Name and address of the person and location of the premises)	Consignment Note No.	Quantity
Total				Total	

7. Closing balance at the end of the quarter
8. Whether the return is filed within the due date: Yes / No
9. If the return is not filed within the due date, specify details of the fine paid for delay in submission of the return

Certified that the information given below is correct and the relevant records are available with me/us.

Signature:
 Name:
 Designation:

Date

Note:

- (1) The quantity should be indicated in kilograms.
- (2) For each controlled substance, separate return shall be sent.
- (3) This return is to be sent to the concerned Zonal Director of the Narcotics Control Bureau.
- (4) In case of import / export, in place of registration number, number and date of the No Objection Certificate issued by the Narcotics Commissioner shall be indicated.

FORM-F
[See sub-clause (6) of clause 4]

Quarterly return of receipt, import, sale, consumption or export of controlled substance

Return for the quarter ending on

1. Registration number issued under sub-clause(1) of clause 4
2. Name of the seller, distributor, exporter, importer or consumer
3. Address
4. Name of the controlled substance
5. Opening balance of the controlled substance at the beginning of the quarter
6. Details of quantity received and sold, consumed or exported

Receipt / Import				
Date	Received / imported from whom (Name and address of the person)	Consignment Note No. / Bill of Entry No	Quantity received / imported	Total

Sale, Consumption or export				
Date	To whom sent (Name and address of the person)	Consignment Note No.	Quantity sold / consumed / exported	Total

7. Closing balance at the end of the quarter
8. Whether the return is filed within the due date: Yes / No

Certified that the information given above is correct and the relevant records are available with me/us.

Signature:
Name:
Designation:

Date

Note:

- (1) The quantity should be indicated in kilograms.
- (2) For each controlled substance, separate return shall be sent.
- (3) Strike out whichever is not applicable.
- (4) In case of import / export, number and date of the No Objection Certificate issued by the Narcotics Commissioner shall be indicated under the column imported from whom / to whom sent.
- (5) This return is to be sent to the concerned Zonal Director of the Narcotics Control Bureau.

FORM-G
[See sub-clause (1) of clause 7]

Consignment Note
(To accompany a consignment of controlled substance)

Sl. No.	Date and time of dispatch of the consignment
1.	Registration Number of the consignor issued under sub-clause (1) of clause 4:
2.	Name and address of the consignor :
3.	Name and address of the consignee :
4.	Registration number of the consignee issued under sub-clause (1) of clause 4:
5.	Description and quantity of the consignment :-

Particulars of Controlled Substance	No. of package	Quantity (in Kilogram)	
		Gross Weight	Net Weight

6. Mode of transport (Particulars of the transporter, registration number of the vehicle, R.R. / L. R. if the Transport is by Railway or Goods Transport, if any).
7. The total number of temper-proof seals affixed on motorised tankers / other packages and each of their description

Signature of the consignor with date
(Name in capital letters)

7. Date and time of receipt by the consignee and his remarks

Signature of the consignee
(Name in capital letters)

Note :

- (1) The consignment Note should be serially numbered on annual basis.
- (2) The consignor should record a certificate on the cover page of each book containing consignment Notes indicating the number of pages contained in the consignment Note-Book.
- (3) The books containing consignment Notes used or currently under use shall be produced to the authorised officer whenever called upon.

1262 GI/13-12

FORM-H**[See sub-clause (9) of clause 7]****Quarterly report on transport of controlled substance to a consignee outside the zone of a consignor**

Return for the quarter ending on

1. Registration Number of the consignor issued under sub-clause (1) of clause 4:
2. Name of the consignor :
3. Address :
4. Name of the controlled substance :
5. Details of the consignments sent to the area of jurisdiction of the Zonal Director, Narcotics Control Bureau to whom the report is sent.

SI. No.	Dated on which sent	Quantity	To whom sent (indicate registration number issued under sub-clause (1) of clause 4, name and address)	Consignment Note No.	Mode of transport

Signature:
Name in block letter:
Designation:

Date

Note:

- (1) The quantity shall be indicated in kilograms
- (2) For each controlled substance a separate return shall be sent.

FORM-I
[See sub-clause (1) of clause 9]

Application for destruction of Controlled Substance in Schedule – A

1.	Registration Number issued under sub-clause (1) of clause 4	
2.	Name and address of the applicant	
3.	Name of the controlled substance	
4.	Quantity of controlled substance to be destroyed	
5.	Type of packing and number of packages	
6.	Place of storage of the controlled substance, if different from Sr. No.2 above	
7.	Reasons why such destruction is required	
8.	Manner and place where the controlled substance is proposed to be destroyed.	
9.	Whether the quantity of controlled substance is appearing in Form 2 or 3 Register, if yes enclose copy of the relevant page of the register.	
10.	Whether the quantity of controlled substance is appearing in the returns filed, if yes enclose copy of the last return filed.	

Date:
Place:

Signature:
Name:
Designation

Note:

- (1) The quantity shall be indicated in kilograms.
- (2) For destruction of each controlled substance in Schedule-A, separate application shall be sent.
- (3) This application is to be sent to the concerned Zonal Director of the Narcotics Control Bureau.

FORM-J
[See sub-clause (2) of clause 10]

Application form for export of controlled substance in Schedule-B

1. Exporter (name, address, telephone and fax number): Drug/Trade Licence number:		2. NOC Number: Date of issue: Place of issue: Valid upto: <i>(To be filled up by Central Bureau of Narcotics)</i>	
3. Central Excise registration number and issuing authority:		4. Importer (name and address) Licence or registration number:	
5. Issuing authority (name, address and tele-facsimile numbers): Narcotics Commissioner of India, Central Bureau of Narcotics, Ministry of Finance, 19, The Mall, Morar, Gwalior, Madhya Pradesh-474006, INDIA Tel. No. : 91-751-2368121 and 2368996/2368997 Fax No. : 91-751-2368111/2368577 Website: http://cbn.nic.in , https://cbnonline.gov.in Eimail: narcom@sanchamet.in , narcommr@cbn.nic.in		6. Other operator/agent (name and address)	
7a. Import Certificate/ NOC No. : 7b. Issuing authority (name and address) : Telephone No. : Fax number :		8. Ultimate Consignee (in case of re-sale) (name and address) :	
9. Point of exit from India :		10. Mode of transport :	11. Point of entry into importing country:
12. Route :		13. Full name of substances to be exported:	
Quantity	Weight/ Volume per unit	14. HS number	15. CAS number
16. Net weight of controlled substance : (In Kilograms)	(1)		
Number of packets/cartons:	Weight/Volume of each packet/carton :	17. % of mixture :	18. Invoice number :
Cost per unit/kg :	In Rs.	In US \$	Total cost :
In Rs.	In US \$	Total cost :	